स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जनमंच

सहारा योजना

स्वास्थ्य सुरक्षा में सरकार की एक नई पहल

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लम्बी अवधि तक उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिचरों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है।

इस योजना के अन्तर्गत होने वाली निम्न बिमारियों पर अनुदान :-

- पार्किसंस रोग
- मस्कूलर डिस्ट्रॉफी
- थैलीसिमिया
- घातक कैंसर रोग
- हिमोफिलिया
- गुर्दे की विफलता
- अन्य कोई रोग जो स्थायी रूप से किसी रोगी को अक्षम करते हों।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो एक परिवार में रहते हैं, 2000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी।

निर्धारित प्रपत्र के साथ दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- बिमारी के दस्तावेज
- फोटो पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बी. पी. एल. प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पूर्ण जानकारी

– जीवन प्रमाण पत्र–

- उक्त दस्तावेज के साथ अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें।
- इस योजना के अन्तर्गत सरकारी एवं पेंशन भोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं, इस योजना के पात्र नहीं होगें।
- यह योजना निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और हम स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध कर पाएंगे।

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सौजन्य :- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश